



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल

website: -www.bubhopal.ac.in

Email:- buaff2023@gmail.com

क्रमांक: 22/अकादमी/संबद्धता/2024

भोपाल दिनांक: 03-01-2024

To,
PRINCIPAL,
M.K.PONDA COLLEGE OF BUSINESS AND MANAGEMENT,
LAMB KHEDE BERASIA ROAD,
BHOPAL (M.P.).
(PRIVATE)

College Code-501
Affiliation Renewal
(2023-24)

विषय:- सत्र 2023-24 हेतु स्थाई /अस्थायी सम्बद्धता की निरंतरता प्रदान करने विषयक ।
महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक: 25-04-2023 में की गई अनुशंसा एवं कार्यपरिषद की बैठक दिनांक: 21-12-2023 में अनुमोदन उपरान्त आपके महाविद्यालय को निम्नानुसार पाठ्यक्रमों/विषयों को सत्र 2023-24 हेतु स्थाई/अस्थायी सम्बद्धता की निरंतरता प्रदान की जाती है।

S.NO	COURSE	SUBJECT	COURSE STATUS
1	BBA III		TEMPORARY
2	BCA III		TEMPORARY
3	B.COM III	ALL COMPULSORY SUBJECT, ADVERTISING, COMPUTER APPLICATION, FOREIGN TRADE PRACTICE AND PROCEDURE, TRAVEL AND TOURISM	TEMPORARY
4	B.COM HONS. III		TEMPORARY
5	B.SC. III	FOUNDATION COURSE, COMPUTER SCIENCE, MATHEMATICS, PHYSICS	TEMPORARY
6	M.COM.F	ACCOUNT, MANAGEMENT	TEMPORARY

शर्तें:-

- (1) प्रदत्त अस्थायी संबद्धता / निरन्तरता करने हेतु आगामी सत्र 2024-25 के लिए आयुक्त उच्च शिक्षा की मान्यता निर्धारित संबद्धता शुल्क एवं आवेदन पत्र के साथ नियत दिनांक तक आवेदन करना होगा।
- (2) उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि उल्लेखित शर्तों की पूर्ति करने के पश्चात ही आगामी सत्र में संबद्धता/निरन्तरता की प्रक्रिया पूर्ण की जा सकेगी, अन्यथा प्रदत्त अस्थायी संबद्धता/निरन्तरता मान्य योग्य नहीं होगी। किसी भी शर्तों की पूर्ति न होने की स्थिति में प्रदत्त संबद्धता/निरन्तरता पत्र स्वतः निरस्त माना जावेगा।
- (3) बिना संबद्धता/निरन्तरता के किसी छात्र/छात्रा का प्रवेश मान्य नहीं होगा। उसकी संपूर्ण जवाबदारी महाविद्यालय प्रबंधन की होगी।
- (4) विश्वविद्यालय परिनियम 27,28 तथा परीक्षा अध्यादेश 5,6,7 का पालन करना होगा।
- (5) अशासकीय/स्वायत्त महाविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति वि.वि. परिनियम (कालेज कोड) 28 के तहत छात्र अनुपात अनुसार पूर्ण कर नियुक्त शिक्षकों की सूची नियुक्ति पत्र, मय ज्वॉइनिंग रिपोर्ट जिसमें शिक्षकों का आधार नम्बर, मोबाईल नम्बर विश्वविद्यालय की मेल आई डी buaff2023@gmail.com एक्सेल शीट में तथा विश्वविद्यालय में हार्डकापी में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यह जानकारी महाविद्यालय की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।
- (6) महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड अकाउंटेंट से सत्यापित करवाकर प्रस्तुत करना होगा। (अशासकीय महाविद्यालय हेतु)
- (7) शासी निकाय का गठन कर नियमित बैठक का आयोजन एवं विवरण तीन माह में वि.वि. को भेजना होगा। (अशासकीय महाविद्यालय हेतु)
- (8) संबंधित पाठ्यक्रमों हेतु FDR वि.वि.में जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा प्रदत्त पाठ्यक्रमों की संबद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
- (9) उक्त शर्तों का पालन न करने पर परिनियम-27 के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

आदेशानुसार


कुलसचिव

भोपाल दिनांक:03-.1-2024

पृ.कं. 23/अकादमी/संबद्धता/2024

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन भोपाल।
2. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल नर्मदापुरम संभाग भोपाल।
3. प्रभारी, वि.वि. आई.टी /वेब सेल भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. उपकुलसचिव गोपनीय/परीक्षा की ओर सूचनार्थ।
5. कुलपति/कुलसचिव जी के निजी सहायक के माध्यम से सूचनार्थ।

सहायक कुलसचिव, (अकादमी)





बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल

कं. 757 /अका.संबं/2024

भोपाल दिनांक 26.4.2024

To,
Principal,
501- M. K. Ponda College of Business Management,
Lambakheda, Dist. Bhopal

Affiliation Renewal
(2022-23)

विषय:- स्थाई /अस्थाई सम्बद्धता की निरंतरता सत्र 2022-23 प्रदान करने विषयक ।
महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 11.05.2022 में की गई अनुशंसा एवं कार्यपरिषद की आगामी बैठक में अनुमोदन की प्रत्याशा में आपके महाविद्यालय को निम्नानुसार पाठ्यक्रमों/विषयों को सत्र 2022-23 हेतु स्थाई/अस्थाई संबद्धता की निरंतरता प्रदान की जाती है।

S.NO	COURSE	SUBJECT	PERMANENT/ TEMPORARY
1	B.A. I	Foundation Course, Sociology, Political Science, English, Hindi, Economics, Sociology,	TEMPORARY

शर्त:-

1. प्रदत्त अस्थाई संबद्धता/निरंतर करने हेतु आगामी सत्र 2023-24 के लिए आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग तथा अन्य नियामक संस्था की मान्यता निर्धारित संबद्धता शुल्क एवं आवेदन पत्र के साथ नियत दिनांक तक आवेदन करना होगा।
2. उच्च शिक्षा विभाग/नियामक संस्था द्वारा जारी सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि उल्लेखित शर्तों की पूर्ति करने के पश्चात ही आगामी सत्र में संबद्धता की प्रक्रिया पूर्ण की जा सकेगी अन्यथा प्रदत्त अस्थाई संबद्धता मान्य योग्य नहीं होगी। किसी भी शर्तों की पूर्ति न होने की स्थिति में प्रदत्त संबद्धता पत्र स्वतः निरस्त माना जावेगा।
3. बिना संबद्धता के किसी छात्र-छात्रा का प्रवेश मान्य नहीं होगा। उसकी संपूर्ण जवाबदारी महाविद्यालय प्रबंधन की होगी।
4. विश्वविद्यालय परिनियम 27,28 तथा परीक्षा अध्यादेश 5,6,7 का पालन करना होगा।
5. प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति वि.वि. अधिनियम 28 के तहत पूर्ण कर नियुक्त शिक्षकों की सूची नियुक्ति पत्र, मय ज्वॉइनिंग रिपोर्ट विश्वविद्यालय की मेल आई डी पर एक्सल शीट में एवं महावि. की वेबसाईट पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
6. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड अकाउंटेंट से सत्यापित करवाकर प्रस्तुत करना होगा।(अशासकीय महाविद्यालय हेतु)
7. शासी निकाय का गठन कर नियमित बैठक का आयोजन एवं विवरण तीन माह में वि.वि. को भेजना होगा(अशा. महावि.हेतु)
8. संबंधित पाठ्यक्रमों हेतु FDR की मुल प्रति एक माह में वि.वि.में जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा प्रदत्त पाठ्यक्रमों की संबद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
9. नियमित शिक्षकों के वेतन पत्रक, वेतन कटौती, वृत्ति कर, इत्यादि की जानकारी भी अनिवार्यतः प्रस्तुत करें।
- 10 उक्त शर्तों का पालन न करने पर परिनिधिम-27 के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

आदेशानुसार


कुलसचिव

पृ.कं. 758 /अका.संबं/2024

भोपाल,दिनांक. 26.4.2024

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग सतपुडा भवन भोपाल।
2. क्षेत्रिय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल नर्मदापुरम संभाग भोपाल।
3. प्रभारी,वि.वि. आई.टी /वेब सेल भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. उपकुलसचिव गोपनीय/परीक्षा की ओर सूचनार्थ।
5. कुलपति/कुलसचिव जी के निजी सहायक के माध्यम से सूचनार्थ।

सहा.कुलसचिव (अकादमी)





बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल

website: -www.bubhopal.ac.in

Email:- buaff2023@gmail.com

क्रमांक: 759 अकादमी/संबद्धता/2024

भोपाल दिनांक: 26.4.2024

To,
PRINCIPAL

MLK PONDIA COLLEGE OF BUSINESS AND MANAGEMENT,
LAMBA KHEDA BERSASIA ROAD,
BHOPAL (M.P.)

(PRIVATE)

विषय- सत्र 2023-24 हेतु स्थाई /अस्थाई सम्बद्धता की निरंतरता प्रदान करने विषयक ।
महोदय,

College Code-501
Affiliation Renewal
(2023-24)

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक: 25-04-2023 में की गई अनुशंसा एवं कार्यपरिषद की बैठक दिनांक: 21-12-2023 में अनुमोदन उपरान्त आपके महाविद्यालय को निम्नानुसार पाठ्यक्रमों/विषयों को सत्र 2023-24 हेतु स्थाई/अस्थाई संबद्धता की निरंतरता प्रदान की जाती है।

S.NO	COURSE	SUBJECT	COURSE STATUS
1	BA I	FOUNDATION COURSE, ECONOMICS, ENGLISH, HINDI, POLITICAL SCIENCE, SOCIOLOGY, HISTORY	TEMPORARY

शर्तें:-

- (1) प्रदत्त अस्थाई संबद्धता / निरन्तरता करने हेतु आगामी सत्र 2024-25 के लिए आयुक्त उच्च शिक्षा की मान्यता निर्धारित संबद्धता शुल्क एवं आवेदन पत्र के साथ नियत दिनांक तक आवेदन करना होगा।
- (2) उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि उल्लेखित शर्तों की पूर्ति करने के पश्चात ही आगामी सत्र में संबद्धता/निरन्तरता की प्रक्रिया पूर्ण की जा सकेगी, अन्यथा प्रदत्त अस्थाई संबद्धता/निरन्तरता मान्य योग्य नहीं होगी! किसी भी शर्तों की पूर्ति न होने की स्थिति में प्रदत्त संबद्धता/निरन्तरता पत्र स्वतः निरस्त माना जावेगा।
- (3) बिना संबद्धता/निरन्तरता के किसी छात्र/छात्रा का प्रवेश मान्य नहीं होगा। उसकी संपूर्ण जवाबदारी महाविद्यालय प्रबंधन की होगी।
- (4) विश्वविद्यालय परिनियम 27,28 तथा परीक्षा अध्यादेश 5,6,7 का पालन करना होगा।
- (5) अशासकीय/स्वायत्त महाविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति वि.वि. परिनियम (कालेज कोड) 28 के तहत छत्र अनुपात अनुसार पूर्ण कर नियुक्त शिक्षकों की सूची नियुक्ति पत्र, मय ज्वॉइनिंग रिपोर्ट जिसमें शिक्षकों का आधार नम्बर, मोबाईल नम्बर विश्वविद्यालय की मेल आई डी buaff2023@gmail.com एक्सेल शीट में तथा विश्वविद्यालय में हार्डकापी में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यह जानकारी महाविद्यालय की वेबसाईट पर भी प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।
- (6) महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड अकाउंटेंट से सत्यापित करवाकर प्रस्तुत करना होगा। (अशासकीय महाविद्यालय हेतु)
- (7) शासी निकाय का गठन कर नियमित बैठक का आयोजन एवं विवरण तीन माह में वि.वि. को भेजना होगा। (अशासकीय महाविद्यालय हेतु)
- (8) संबंधित पाठ्यक्रमों हेतु FDR वि.वि.में जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा प्रदत्त पाठ्यक्रमों की संबद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
- (9) उक्त शर्तों का पालन न करने पर परिनियम-27 के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

आदेशानुसार


कुलसचिव,

पृ.कं. 760 /अकादमी/संबद्धता/2024
प्रतिलिपि:-

भोपाल दिनांक: 26.4.2024

1. आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग सतपुडा भवन भोपाल।
2. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल नर्मदापुरम संभाग भोपाल।
3. प्रभारी, वि.वि. आई.टी /वेब सेल भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. उपकुलसचिव गोपनीय/परीक्षा की ओर सूचनायें।
5. कुलपति/कुलसचिव जी के निजी सहायक के माध्यम से सूचनायें।

सहायक कुलसचिव, (अकादमी)